संख्या:1440/XL-1–2024–108/2006 (ई फाईल–29733)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2024

विषय :– आयुर्वेदिक पद्वति से सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–850/जी–142(MR)mix/2024–25 दिनांक 16 मई, 2024 के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **आयुर्वेदिक पद्वति से उपचार पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति** की व्यवस्था किये जाने हेतु उत्तराखण्ड में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एंव मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण (वर्तमान एवं सेवानिवृत्त) तथा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों (वर्तमान एवं भूतपूर्व) उनके आश्रितों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण, प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु निर्धारित किये जाने हेतु आदेश संख्या–890/XXX।।।(1) 2009–108/2006 दिनांक–25 जनवरी 2010 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क0 स0	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी
1	रू0–1.5 लाख तक	कार्यालयाध्यक्ष	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
2	रू0–1.5 लाख से रू0 5.00 लाख तक	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो।	निदेशक आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें,
3	रू0 5.00 लाख से अधिक	प्रशासकीय विभाग	तदैव

2– आदेश संख्या–890/XXX।।।(1)2009–108/2006 दिनांक–25 जनवरी 2010 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ई पत्रावली संख्या–29733 में प्रदत्त उनकी सहमति के कम में जारी किये जा रहें।

Signed by
Ravinath Raman
Date: 22-09-2024 15:43:13

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

CamScanner